प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांक – 28.04.2025**

वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान में जनपदीय पुलिस द्वारा 04 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.04.2025 को जनपदीय पुलिस द्वारा 04 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत हैः-

क्र0 सं0	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	कोतवाली शहर	चेता पुत्र रामदिया निवासी जहानाबाद थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
2	हीमपुर दीपा	मोनू पुत्र रतिराम नि0 ग्राम फैजीपुर थाना हीमपुर दीपा बिजनौर।
3	हीमपुर दीपा	धन्नू पुत्र स्व0 राम सिंह नि0 ग्राम हरिनगर थाना हीमपुर दीपा बिजनौर।
4	कोतवाली देहात	शादमान उर्फ उफ्फल पुत्र नफीस नि0 ग्राम अकबराबाद थाना कोतवाली देहात बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना नूरपुर   दिनांक 28.04.2025

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 141/25 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 17.04.2025 को वादी ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि ग्राम सभा गोपालपुर के ग्राम मोलावाला उर्फ तकीपुरघासी के खेतो में गौवंशीय अवषेश मिले है। इस संबंध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 141/25 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान 1- सद्दाम पुत्र मुन्ने निवासी ग्राम दौलतपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर हाल निवासी मौ0 सैफियाबाद कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 2- इरशाद पुत्र हनीसू निवासी ग्राम गोयली थाना चांदपुर जनपद बिजनौर 3- जीशान पुत्र अतीक निवासी ग्राम सब्दलपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 4- जीशान पुत्र दिलदार उर्फ दिलशाद निवासी ग्राम सब्दलपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 5- हनीफ मलिक पुत्र नत्थू निवासी ग्राम नंगली जाजू थाना नूरपुर जनपद बिजनौर 6- नवाब मलिक निवासी भातू वाला नवादा थाना कांठ जनपद मुरादाबाद 7- आसिफ पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम मंगोलपुरा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 8- फैसल निवासी मौ0 मौहम्मदनगर (जामा मस्जिद) कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया था।

स्थानीय पुलिस द्वारा सद्दाम, इरशाद, जीशान पुत्र अतीक व जीशान पुत्र दिलदार व हनीफ उपरोक्त को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

कार्यवाही –

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त नवाब उर्फ नवाबुल पुत्र जमीर नि0 मुख्तयारपुर नवादा थाना कांठ जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया । शेष अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण –

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया 15-16 दिन पहले कि 1- सद्दाम मलिक 2- इरशाद 3- जीशान मलिक 4- जीशान मलिक, सेन्ट्रो कार से गौवंशीय मीट को लेकर उसके पास आये थे, जिनसे उसने मीट को खरीद लिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

नवाब उर्फ नवाबुल पुत्र जमीर नि0 मुख्तयारपुर नवादा थाना कांठ जनपद मुरादाबाद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. श्री नरेशपाल सिंह, निरीक्षक अपराध थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
2. उ0नि0 सुशील पंवार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
3. आरक्षी नीरज पंवार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
4. आरक्षी सचिन कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
5. आरक्षी विकास कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना हल्दौर **दिनांक – 28.04.2025**

थाना हल्दौर पुलिस ने पुलिस मुठभेड के दौरान हत्या एवं चोरी के अभियोगों में वांछित 03 अभियुक्तगण (एक घायल अवस्था में) को अवैध शस्त्र, चोरी किये गये आभूषण / मोटरसाइकिल / नगदी सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 09.10.2024 को वादिया पूनम पुत्री सोमपाल निवासी ग्राम भोक्कारेहडी थाना भोपा जनपद मुजफ्फरनगर ने थाना हल्दौर पर तहरीर दी कि दिनांक 06.10.2024 को उसके पिता सोमपाल व मां बेबी को राजवीर उर्फ चन्द्रभान उर्फ भाना नाम का व्यक्ति बैक्वट हॉल कस्बा हल्दौर से अपने साथ गाडी में लेकर गया था। इस संबंध में थाना हल्दौर पर अपहरण के संबंध में मु0अ0सं0 288/24 धारा 140(1) बीएनएस बनाम राजवीर उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

दिनांक 09.10.2024 को थाना नहटौर क्षेत्रान्तर्गत गांगन नदी मे 02 शव मिले थे। पूनम उपरोक्त से जब शवों की शिनाख्त करायी गयी तो उसने दोनो शवो को देखकर उनकी पहचान अपनी मां बेबी व पिता सोमपाल के रुप में की गयी। मृतक सोमपाल उपरोक्त थाना नगीना से चोरी के अभियोग में वांछित था तथा थाना भोपा जनपद मुजफ्फरनगर का हिस्ट्रीशीटर अपराधी भी था। अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान राजवीर उपरोक्त की संपूर्ण पहचान राजवीर उर्फ चन्द्रभान उर्फ भाने पुत्र सहीराम उर्फ डालचन्द उर्फ मूलचन्द निवासी ग्राम बामन खेडी थाना हसनपुर जनपद अमरोहा के रूप मे हुई।

सम्पूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही से उक्त अभियोग में अभियुक्तगण 1.राजवीर उर्फ चन्द्रभान उर्फ भाने पुत्र सहीराम उर्फ डालचन्द उर्फ मूलचन्द निवासी ग्राम बामन खेडी थाना हसनपुर जनपद अमरोहा 2.नीमा पत्नी राजवीर उर्फ चन्द्रभान उर्फ भाने निवासी ग्राम बामनखेडी थाना हसनपुर जनपद अमरोहा 3.जीवा पुत्र ओमप्रकाश निवासी बल्ला शेरपुर थाना नहटौर जनपद बिजनौर 4.सोनू पुत्र सुनील निवासी भोपूर थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद का नाम प्रकाश में आया, जिनमें से अभियुक्त राजवीर व अभियुक्ता नीमा को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

कार्यवाही –

दिनांक 27/28.04.2025 की रात्रि में थाना हल्दौर पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक लाल रंग की सुपर स्प्लैण्डर मोटरसाइकिल पर कुछ बदमाश अम्हेडा से हल्दौर की तरफ जा रहे है तथा कोई घटना करने की फिराक में है। थाना हल्दौर पुलिस द्वारा अम्हेडा रोड पर चेकिंग के दौरान एक सुपर स्प्लैण्डर मोटरसाइकिल (यूपी 14 डीए 3138) पर सवार 03 लोगो को रोकने का प्रयास किया गया तो एक

बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। मौके से पुलिस द्वारा तीनों बदमाशों को गिरफ्तार किया गया।

घायल बदमाश ने अपना नाम जीवा पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम बल्ला शेरपुर थाना नहटौर जनपद बिजनौर बताया। अभियुक्त जीवा के कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस, 07 जोडी पायल (सफेद धातु), एक जोडी झाले (पीली धातु), एक ओम लिखा पान (पीली धातु), एक कुण्डल (पीली धातु) व 10 हजार रूपये बरामद किये गये। दूसरे अभियुक्त ने अपना नाम सोनू पुत्र सुनील निवासी भोपूर थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद बताया, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस बरामद किये गये। तीसरे अभियुक्त ने अपना नाम विपिन पुत्र शकील निवासी बावन खेडी थाना हसनपुर जनपद अमरोहा बताया। घायल अभियुक्त जीवा को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मुठभेड के संबंध में थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 107/25 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व धारा 3/25/27/5 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण जीवा व सोनू उपरोक्त थाना हल्दौर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 288/24 धारा 140(1)/103(1)/238(1) बीएनएस में वांछित अभियुक्तगण है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्तों से पूछताछ के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आये कि जीवा ने अपने ससुर राजवीर व साढू सहदेव पुत्र केशव निवासी मंगोलपुर थाना रजबपुर जनपद अमरोहा के साथ मिलकर अम्हैडा के पास गांव सल्लापुर मे सडक के पास बन्द मकान में घुस कर चोरी की थी, जिनमे से जीवा के हिस्से मे जेवरात व 10,000 रुपये आये थे (इस संबंध में थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 67/24 धारा 331/305 बीएनएस पंजीकृत है)। बरामद सुपर स्प्लैण्डर मोटरसाइकिल (यूपी 14 डीए 3138) जीवा व सोनू ने जनपद हापुड के पिलखुआ थाना क्षेत्र से चोरी की थी (इस संबंध में थाना पिलखुआ पर मु0अ0सं0 259/18 धारा 379 भादवि पंजीकृत है)। दिनांक 06.10.2024 को जीवा व सोनू ने राजवीर उर्फ चन्द्रभान उर्फ भाने व उसकी पत्नी नीमा के साथ मिलकर सोमपाल उर्फ सोमे और उसकी पत्नी बेबी की हत्या कर दी थी, क्योंकि सोमपाल उर्फ सोमे ने राजवीर उपरोक्त से एक व्यक्ति की हत्या करने के लिये दो लाख रुपये लिये थे तथा रुपये लेकर न ही उस व्यक्ति की हत्या की और न ही राजवीर के रुपये वापस किये तथा राजवीर के साथ मिलकर की गयी चोरियों के रुपयों का भी बंटवारा नही किया था। इसी बात का बदला लेने के लिये राजवीर द्वारा बनायी गयी योजना के तहत उन सब ने मिलकर उपरोक्त घटना को अंजाम दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1.जीवा पुत्र ओमप्रकाश निवासी बल्ला शेरपुर थाना नहटौर जनपद बिजनौर

2.सोनू पुत्र सुनील निवासी भोपूर थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद

3.विपिन पुत्र शकील निवासी बावन खेडी थाना हसनपुर जनपद अमरोहा

बरामदगी का विवरण –

02 तमंचे 315 बोर, 04 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस 315 बोर

07 जोडी पायल (सफेद धातु), एक जोडी झाले (पीली धातु), एक ओम लिखा पान (पीली धातु), एक कुण्डल (पीली धातु) व 10,000 /- रूपये **(सम्बंधित मु0अ0सं0 67/24 धारा 331/305 बीएनएस थाना हल्दौर)**

चोरी की सुपर स्प्लैण्डर मोटरसाइकिल (यूपी 14 डी0ए0 3138) **(मु0अ0सं0 259/18 धारा 379 भादवि थाना पिलखुआ जनपद हापुड से संबंधित)**

अभियुक्त जीवा का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 259/18 धारा 379 भादवि थाना पिलखुआ जनपद हापुड।

2.मु0अ0सं0 67/24 धारा 331/305/317(2) बीएनएस थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

3.मु0अ0सं0 288/24 धारा 140(1)/103(1)/238(1) बीएनएस थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

4.मु0अ0सं0 107/25 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व धारा 3/25/27/5 आर्म्स एक्ट थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

अभियुक्त सोनू का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 259/18 धारा 379 भादवि थाना पिलखुआ जनपद हापुड

2.मु0अ0सं0 288/24 धारा 140(1)/103(1)/238(1) बीएनएस थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

3.मु0अ0सं0 107/25 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

अभियुक्त विपिन का आपराधिक इतिहास –

मु0अ0सं0 107/25 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश कुमार बैसला थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

2.निरीक्षक श्री सचिन मलिक प्रभारी स्वाट टीम जनपद बिजनौर

3.उ0नि0 श्री विकास कुमार प्रभारी सर्विलांस सैल जनपद बिजनौर।

4.उ0नि0 बबलू सिंह थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

5.म0उ0नि0 अन्नू कुमारी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

6.हे0कां0 445 विकास कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

7.हे0कां0 556 महेशचन्द सैनी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

8.है0कां0 31 अमित थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

9.कां0 1776 प्रवीण कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

10.कां0 377 अंकित तोमर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

11.कां0 628 आशीष थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

12.कां0 2459 राजीव तोमर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

13.हे0का0 628 जोगेन्द्र सर्विलांस सैल जनपद बिजनौर

14.हे0का0 543 संदीप तोमर सर्विलांस सैल जनपद बिजनौर

15.का0 123 दीपक जावला सर्विलांस सैल जनपद बिजनौर

16.का0 862 सुजीत तोमर सर्विलांस सैल जनपद बिजनौर

17.का0 2249 विशाल तोमर सर्विलांस सैल जनपद बिजनौर

18.का0 1009 विशाल चिकारा सर्विलांस सैल जनपद बिजनौर

19. का0 1583 मोनू कुमार सर्विलांस सैल जनपद बिजनौर

20.का0 1441 आकाश कुमार स्वाट टीम जनपद बिजनौर

21.का0 2423 अनिल कुमार स्वाट टीम जनपद बिजनौर

22.का0 अचिन कुमार स्वाट टीम जनपद बिजनौर